सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित | Published by Authority

आश्विन 16, गुरुवार, शाके 1937–अक्टूबर 8, 2015
*Asvina 16, Thursday, Saka 1937–October 8, 2015*

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 8, 2015

संख्या प. 2 (1) विधि/2/2015:–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी प्रेजन्स (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 26 ऑफ 2015)" का हिन्दी अनुवाद साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

कारागार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 26)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

कारागार अधिनियम, 1894 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम कारागार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 20 अगस्त, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 की धारा 42 का संशोधन.- कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के राजस्थान

राज्य में उसके लागू होने के संबंध में, उसकी धारा 42 में विद्यमान अभिव्यक्ति "जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों से," के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों से," प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 की धारा 43 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 43 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और उस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपना नाम या निवास-स्थान बताने से इन्कार करेगा या ऐसा नाम या निवास-स्थान बताएगा जिसके बारे में अधिकारी जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है" हटायी जायेगी।

4. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 58-क और 58-ख का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 58 के पश्चात् और विद्यमान धारा 59 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"58-क. बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जाना.- राज्य सरकार या उसके द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी किसी बंदी को ऐसे नियमों के अनुसार, जो इस निमित बनाये जायें, पैरोल पर छोड़ सकेगा।

58-ख. अस्थायी रूप से छोड़े जाने की कालावधि की समाप्ति पर बंदियों का समर्पण.- (1) पैरोल पर छोड़ा गया कोई भी बंदी स्वयं को, पैरोल की कालावधि की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जैसाकि उसे राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा, निदिष्ट किया जाये, उस कारागार, जिससे वह छोड़ा गया था, के प्रभारी अधिकारी के समक्ष, समर्पित करेगा।

(2) कोई भी बंदी जो स्वयं को उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित रूप से समर्पित नहीं करता है या ऐसी अन्य शर्तों, जिन पर उसे छोड़ा गया है, का पालन करने में विफल रहता है तो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा और

दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी प्रकार के ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।"

5. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 की धारा 59 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (1) में.-

(i) खण्ड (27) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (27) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (28) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(27-क) पैरोल पर छोड़ना और वे शर्तें, जिन पर और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकेगा, अवधारित करना; और"।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) कारागार (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 8) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

## LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
## (GROUP-II)

Notification

**Jaipur, October 8, 2015**

**No. F. 2 (1) Vidhi/2/2015.**-The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the

Governor on the 7th day of October, 2015 is hereby published for general information:-

## THE PRISONS (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 26 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 7th day of October, 2015]

*An*

*Act*

*to amend the Prisons Act, 1894 in its application to the State of Rajasthan.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Prisons (Rajasthan Amendment) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 20th August, 2015.

**2. Amendment of section 42, Central Act No. 9 of 1894.-** In section 42 of the Prisons Act, 1894 (Central Act No. 9 of 1894), hereinafter referred to as the principal Act, in its application to the State of Rajasthan, for the existing expression "for a term not exceeding six months, or to fine not exceeding two hundred rupees, or to both", the expression "for a term not exceeding three years, or to fine not exceeding three thousand rupees, or to both" shall be substituted.

**3. Amendment of section 43, Central Act No. 9 of 1894.-** In section 43 of the principal Act, for the existing expression "and refuses on demand of such officer to state his name and residence, or gives a name or residence which such officer knows, or has reason to believe, to be false," shall be deleted.

**4. Insertion of new sections 58-A and 58-B, Central Act No. 9 of 1894.-** After the existing section 58 and before the existing section 59 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**58-A. Release of prisoners on parole.-** The State Government or any authority empowered by it may release

a prisoner on parole in accordance with such rules as may be made in this behalf.

**58-B. Surrender of prisoners on the expiry of the period of temporary release.**- (1) Any prisoner released on parole shall surrender himself to the officer in charge of the prison from which he was released, on the expiry of the period of parole or at such earlier time as he may be directed by the State Government or any authority empowered by it in this behalf.

(2) Any Prisoner who does not surrender himself as required by sub-section (1) or fails to comply with any other conditions upon which he is released, may be arrested by any police officer and shall be liable upon conviction to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.".

**5. Amendment of section 59, Central Act No. 9 of 1894.**- In sub-section (1) of section 59 of the principal Act,-

(i) in clause (27), the existing word "and", appearing at the end, shall be deleted; and

(ii) after the clause (27), so amended, and before the existing clause (28), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(27-a) for release on parole and determining the conditions on which and the authority by which prisoners may be released on parole; and".

**6. Repeal and savings.**- (1) The Prisons (Rajasthan Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 8 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the

said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,
Principal Secretary to the Government.

---

6
Government Central Press Jaipur.